Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to check undue academic charges being collected by Private School.

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ज्वलंत विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । वर्ष 2014 में जब से माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, तब से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं । अब शिक्षक पढ़ाना भी चाहता है, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं और अभिभावक भी 'पढ़े इंडिया, बढ़े इंडिया' में अपना सहयोग कर रहे हैं । देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होने के बावजूद अभी भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और कालेजों में हर वर्ष बच्चों के अभिभावकों से बिल्डिंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली तथा 10 माह की शिक्षा के बदले 12 माह की फीस वसूली जाती है तथा सिलेबस में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके पुस्तकों के नाम पर हजारों रुपये का चूना बच्चों के अभिभावकों को लगाया जाता है । इससे अभिभावकों का अपने बच्चों को पढ़ाने में पसीना छूट जाता है । एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005 से वर्ष 2018 के बीच प्राइवेट स्कूलों की फीस में 150 फीसदी का इज़ाफा हुआ है । स्कूलों में सालाना खर्च 55 हजार रुपये से बढ़ाकर लगभग डेढ़ लाख रुपये तक कर दिया गया है । स्कूलों की ज्यादा फीस अभिभावकों के लिए मुसीबत बन गयी है । स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी में ज्यादा फीस वसूली जा रही है । कभी डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग, कपड़े और जूतों के नाम पर मनमाने ढंग से धन की उगाही की जा रही है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो विद्यालय संचालित हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे अभिभावकों के अपने बच्चों को पढ़ाने में अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सके, जिससे गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को उच्चकोटि की शिक्षा दिला सके ।

महोदय, मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में अध्यापक हैं, उनमें ही उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे हर आदमी के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : *m02 कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मुकेश राजपूत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।